भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5744

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल को आवश्यक कैडर के तौर पर मान्यता

5744. श्री रामभुआल निषादः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग (एन.सी.ए.एच.पी.) अधिनियम, 2021 के तहत फिजियोथेरेपी पेशेवरों को एक विशिष्ट और आवश्यक संवर्ग के रूप में मान्यता देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का फिजियोथेरेपिस्टों की विस्तारित नैदानिक, शैक्षणिक और पुनर्वास संबंधी जिम्मेदारियों को देखते हुए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत उनके वेतन स्तर/ग्रेड पे में वृद्धि की सिफारिश करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की तुलना में वेतन समानता, पदोन्नति में अवरोध और संवर्ग भेदभाव के संबंध में फिजियोथेरेपी संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार के संस्थानों में फिजियोथेरेपिस्टों के लिए एक समान वेतन संरचना, करियर प्रगति और व्यावसायिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): फिजियोथेरेपी पेशेवर राष्ट्रीय संबंद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग (एनसीएएचपी) अधिनियम, 2021 की अनुसूची में श्रेणी 3 के अंतर्गत आते हैं। सभी तीन केंद्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में फिजियोथेरेपी कैडर का पुनर्गठन किया गया है और उक्त कैडर के उच्चतम वेतन को स्तर 10 से बढ़ाकर स्तर -12 कर दिया गया है।
